

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

स्नातक स्तर पर नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु किये जाने वाले आवेदन-पत्र

प्रपत्र-5

1. आवेदक संस्था का नाम :
2. संस्था को पूर्व से राज्य सरकार
द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण
पत्र/पत्रों तथा विश्वविद्यालय के
सम्बन्धक पत्र का क्रमांक एवम्
दिनांक (प्रतियाँ संलग्न करें)
3. महाविद्यालय द्वारा आवेदित
- आवेदित विषय
4. महाविद्यालय द्वारा आवेदित
- विषय/विषय संयोजन को प्रारंभ
- करने संबंधी सम्बद्धक विश्वविद्यालय
- के अध्यादेशों का क्रमांक।
- (प्रतियाँ संलग्न करें)
5. महाविद्यालय में संकायवा, कक्षावर
- एवम् विषयवार संचालित विषय एवम्
- उनमें नियमित छात्र के रूप में पिछली
- वि.वि. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले
- विद्यार्थियों की संख्या ।
6. महाविद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों
- के वर्तमान नाम, पते व फोन नम्बर
7. संस्था के पंजीकृत विधान में दिये गये
- उद्देश्यों का विवरण ।
8. आवेदक महाविद्यालय के 30 किमी.
- की परिधि से संचालित विद्यालयों
- से सीनियर सैकण्डरी कक्षा (12वीं)
- में आवेदित विषय में गत तीन वर्षों
- में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या
- छात्राओं की संख्या बताये।

9. प्रस्तावित नवीन विषय की वित्तीय
व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी।
10. संस्था की तीन वर्षों की वित्तीय
स्थित का अंकेक्षित विवरण ।
11. संस्था द्वारा प्रति विद्यार्थी वसूल
किये जा रहे शुल्कों का गत वर्षों का
विवरण एवम् गत वर्ष में मतवार
वसूली का विवरण पत्र।
12. महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा
प्रस्तावित नवीन विषय प्रारम्भ
करने एवम् उसका वित्तीय दायित्व
वहन करने संबंधी कोई निर्णय अपने
किसी प्रस्ताव से किया हो की प्रति
13. महाविद्यालय की स्थिति
(अ) पोषक विद्यालयों की दूरी
(ब) पोषक विद्यालयों से उपलब्ध
आवागन की सुविधा का विवरण
14. महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण
(क) उपलब्ध कक्षा कक्ष संख्या लम्बाई चौड़ाई
(ख) पुस्तकालय एवम् वाचनालय कक्ष लम्बाई चौड़ाई
(ग) विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कक्षा कक्ष
फर्नीचर का विवरण ।
(घ) छा.वास सुविधा कितने विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। विवरण ।
15. प्रयोगशाला संबंधी विषय पर प्रस्तावित करने पर :-
(1) प्रयोगशाला कक्ष की लम्बाई चौड़ाई
(2) क्या प्रयोगशाला सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार सुसज्जित है ।
16. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवम्
अशैक्षणिक कर्मचारियों संबंधी सूचना
चयनित, अस्थई तदर्थ एवम् अशंकालीन
आधार पर इन सभी की आर्हताएँ
तथा पदनाम एवम् भुगतान किये जा
रहे वेतन एवम् भत्ता की सूचना सहित ।

17. महाविद्यालय के गत वर्ष विश्वविद्यालय
परीक्षा में सम्मिलित होने वाले
विद्यार्थियों की संख्या विषयवार
कक्षातार तथा अध्यापक वार समय
सारिणी की प्रति भी संलग्न करें।

18. **शैक्षणिक एवम् अशैक्षणिक स्टॉफ संबंधी घोषणा :-**

मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि महाविद्यालय में सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित अर्हताधारी व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवम् भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। यदि महाविद्यालय में की गई नियुक्तियाँ उपरोक्तानुसार निर्धारित अर्हताधारी व्यक्तियों की उपरोक्तानुसार वेतन एवम् भत्तों पर नहीं की जाती तो सरकार महाविद्यालय व उसकी प्रबंध समिति के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/सचिव)

प्रबंध समिति

19. **राजनैतिक एवम् धार्मिक गतिविधियों के संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र :-**

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म अथवा राजनैतिक गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा संचालित कोई भी गतिविधि किसी जाति/धर्म अथवा राजनैतिक प्रचार-प्रसार हेतु संचालित करती जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/सचिव)

प्रबंध समिति

20. **सभी जाति व वर्गों के व्यक्तियों के शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी घोषणा-पत्र :-**

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति व वर्ग एवम् वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/सचिव)

प्रबंध समिति

21. प्रदूषण संबंधी घोषणा :-

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्रफल में संचालित किया जायेगा एवम् महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबन्ध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/सचिव)

प्रबंध समिति

22. राजकीय निर्देशों का पालन करना :-

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय का संचालन हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवम् प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/सचिव)

प्रबंध समिति

—: घोषणा :-

मैं पुत्र श्री
अध्यक्ष/सचिव एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवम् विश्वास के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त बिन्दुओं में कोई असत्य बात लिखी गई है अथवा जानबूझकर छिपाई गई है तो उसके लिये मैं एवम् संस्था उत्तरदायी है।

(..... सचिव)

प्रबंध समिति